

2/9/98
31/8/98

2.9.98

Request - 139

SP
12-9-98

706

पंजीकृत
=====

पत्रांक: 4580 / वे 00050 / न्या वि/ईओआर/10-101

प्रेम,

संयुक्त निदेशक,
शिपिर कार्यालय, कोशागार निदेशालय, 2000,
नवीन कोशागार भवन, कोहरी रोड, लोहा

Reg No. 14500
Sl/2561
Serial No. 46
9-9-98

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
- पीडी, गढ़वाल ।

दिनांक: 29-8-98

विषय:- दिनांक 1-1-96 से पृथ्वी पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान हेतु श्री **कालीचरन, खिखिल जल (श्वर खंड)** से सम्बन्धित सेवा पुस्तिका का प्रेषण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग के शासनादेश संख्या प.मा.नि.-356/दस-22/सम/97, दिनांक 23-12-97 एवं प.मा.नि.-357/दस-21/सम/97, दिनांक 31-12-97 व संप्रति आदेश संख्या प.मा.नि./दस-98-44/सम/98, दिनांक 8-5-98 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें ।

उक्त सन्दर्भ में उल्लेखित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय की विधि संख्या सी-945/सी.एफ.-8/1997, दिनांक 16-10-97 की संलग्न सूची क्रमांक 41 पर अंकित उ0प0 न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री **कालीचरन** को निहित पद के साधारण वेतनमान रु 2200-4000 के विपरीत मान्य वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के प्रति दिनांक **24-4-97** से वेतनमान रु 3000-4500 अनुमन्य **कालीचरन** से उन्हें रु 3000-4500 वेतनमान अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप **जनपद न्यायाधीश, गापुर** के **22-5-98** के द्वारा श्री **कालीचरन** की सेवा पुस्तिका/एल.पी.सी. इस कार्यालय को प्रेषित की थी । इस तिथि के पूर्व **जनपद न्यायाधीश, गापुर** वेतनादि का निस्तारण किया जाता रहा है । शासनादेश संख्या प.मा.नि.-356/दस-22/सम/97, दिनांक 23-12-97 के प्रस्तर-4 के अनुसार दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण और भुगतान साधारण वेतनमान के अन्तर्गत आदेश संख्या प.मा.नि.-357/दस-21/सम/97 से किया जाना है ।

अतः श्री **कालीचरन** की सेवा पुस्तिका एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र मूल्य में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आदेश से प्रेषित है कि वेतन

280
S.O. Admn A-1/H
D.R.(M)
1/9/98

DRM
01 SEP 1998

Ricm
19/9

D.R.(M)
For information
may file?
19/9/98

S.O. Ad A1
File
19/9/98
2 पर

Request-139

निर्धारण संबंधी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारी की सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान की कार्यवाही करने का कट करें।

संलग्न:- सेवा पुस्तिका एवं विकल्प पत्र ^{पुस्तिका} (पृ. 1 से 51) ^{विवरण} (अ.प्र.क. 9) के अ.प्र.क. 98


श्वदीय,

१ तापस वर्मा १
संयुक्त निदेशक।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री - आशीचरन - सिविल जज (मबर खंड), पौड़ी, गढ़वाल कीसयतम
2. निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, एलाहाबाद।


१ तापस वर्मा १
संयुक्त निदेशक।

हरिप्रचन्द्र

निर्धारण संबंधी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारी की सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान की कार्यवाही करने का कट करें।

संलग्न:- सेवा पुस्तिका एवं विकल्प पत्र (पृ. 1 से 51) (अ.प्र.क. 9) के अ.प्र.क. 98

श्वदीय,

१ तापस वर्मा १
संयुक्त निदेशक।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री - आशीचरन - सिविल जज (मबर खंड), पौड़ी, गढ़वाल कीसयतम
2. निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, एलाहाबाद।


१ तापस वर्मा १
संयुक्त निदेशक।

हरिप्रचन्द्र